इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2023—वैशाख 1, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. CT-8-0002-2023-Sec-1-पांच (CT) (09).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर यह अधिसूचित करती है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन तारीख 28 फरवरी, 2023 को या उससे पहले जारी किए गए निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिनों की अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्गों के रूप में जिनके संबंध में उक्त निर्धारण आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा, यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, अर्थात् :—

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 जून, 2023 को या उससे पहले उक्त विवरणी प्रस्तुत करेंगे;

(ii) विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन देय ब्याज के भुगतान और उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के संलग्न होगी,

यह ध्यान दिए बिना कि क्या कोई अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन ऐसे निर्धारण आदेश के विरूद्ध फाइल की गई हैं या नहीं या उक्त निर्धारण आदेश के विरूद्ध फाइल की गई अपील यदि कोई हो, निर्णित की गई है या नहीं.

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. CT-8-0002-2023-Sec-1-पांच (CT) .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0002-2023-Sec-1-पांच (CT) (09), दिनांक 21 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 21st April 2023

No.CT-8-0002-2023-Sec-1-V (CT) (09).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered persons who failed to furnish a valid return within a period of thirty days from the service of the assessment order issued on or before the 28th day of February, 2023 under sub-section (1) of Section 62 of the said Act, as the classes of registered persons, in respect of whom said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, if such registered persons follow the special procedures as specified below, namely :—

(i) The registered persons shall furnish the said return on or before the 30th day of June, 2023;

(ii) The return shall be accompanied by payment of interest due under sub-section (1) of Section 50 of the said Act and the late fee payable under Section 47 of the said Act,

irrespective of whether or not an appeal had been filed against such assessment order under section 107 of the said Act or whether or not the appeal, if any, filed against the said assessment order has been decided.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 31st March, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.